

19.7.23


पत्रावली पेश हुई। प्राथी एवं प्राथी अधिकारिता उपे

प्राथी द्वारा मूल वाद विद्वो किया जाने से इस प्राथीनपत्र
में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्राथीनपत्र इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। निर्णय सैरइजलास तुनाया वासा।

उकरण फैसल शुमार होत नम्बर से कम

है।



परिभा वनी
RAS

उपखण्ड अधिकारी
गिरा, उदयपुर